v

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 23rd FEBRUARY, 2000

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 23rd February, 2000

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 180(E) dated the 10th March, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 17, Construction, purchase of equipments and furnishing of a 50 bed Hospice for the care of the terminally ill Cancer patients at Bangalore, Karnataka, by Bangalore Hospice Trust, C/o Indian Cancer Society, HAL, Bangalore-560075, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-98.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of construction, purchase of equipments and furnishing of a 50 bed Hospice for the care of the terminally ill Cancer patients at Bangalore, Karnataka, which is being carried out by Bangalore Hospice Trust, C/o Indian Cancer Society, HAL, Bangalore-560075, at the estimated cost of rupees two crore seventy-one lakhs fifty thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2000-2001.

(VIJAY MATHUR)
Secretary(NC)

No. 11242

F.No. NC-159/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II ,खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 23 फरवरी 2000 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2000

अधिसूचना

सां0 आ0...... (अ0) जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च,1997 को जारी अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं0 17 पर इंडियन कैंसर सोसाइटी,एच0ए0एल0 बंगलौर-560075 बंगलौर हास्पिटल ट्रस्ट द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में लम्बे समय से कैंसर पीडित रोगियों की देखभाल के लिए 50बिस्तर बाले आश्रम के निर्माण, उपकरण उपलब्ध कराने और सुसज्जा की व्यवस्था करने की योजना को वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षो की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था ।

और जैसाकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है ,

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है ;

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन कैंसर सोसाइटी,एच0ए0एल0 बंगलौर-560075 बंगलौर हास्पिटल ट्रस्ट द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में लम्बे समय से कैंसर पीडित रोगियों की देखभाल के लिए 50बिस्तर वाले आश्रम के निर्माण, उपकरण उपलब्ध कराने और सुसज्जा की व्यवस्था की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र दो करोड इकहत्तर लाख पचास हजार रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षो की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

विजय माथुर
(विजय माथुर)
सचिव (रा0स0)

सं0 11252
फा0 सं0 एन0सं0- 159/99